

**भारतीय मानक ब्यूरो  
(केंद्रीय मुहर विभाग III)**

हमारा संदर्भ : केंद्रीय मुहर विभाग - III/8:8

18 अप्रैल 2018

विषय : मुहारंकन शुल्क परिपत्र

इसे उपरोक्त विषय का संदर्भ प्राप्त है।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित शुल्क, जो 14 अप्रैल 2018 से प्रभावी है, सभी शाखा कार्यालयों के अनुपालन हेतु संलग्न हैं।

(एस डी राणे)  
वैज्ञानिक ई (सी एम डी-III)

**प्रमुख (सी एम डी- III)**

सभी क्षेत्रीय /शाखा कार्यालय

प्रतिलिपि : आई टी एस विभाग - बी आई एस इंटरनेट पर डालने हेतु।

**BUREAU OF INDIAN STANDARDS  
(Central Marks Department-III)**

Our Ref: CMD-III/8:8

18 April 2018

**Subject: Circular on marking fee**

The Marking fee approved by the Competent Authority, which is effective from 14 April 2018 is attached herewith for compliance of all BOs.

(S. D. Rane)  
Sc-E (CMD-III)

**Head (CMD-III)**

**Circulated to: All ROs/BOs**

**Copy to: ITS – for hosting on Intranet please**



# भारतीय मानक ब्यूरो

(उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार)

## BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Govt. of India)

मानक भवन, 9 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002

Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

दूरभाष Phones : 2323 0131 / 2323 3375 / 2323 9402

वेबसाईट Website : www.bis.org.in

५२५८

संदर्भ: सीएमडी III/8:8

14 अप्रैल 2018

विषय : राजपत्र अधिसूचना - मुहरांकन शुल्क

प्रबन्धक,

भारत सरकार का मुद्रणालय,

रिंग रोड, मायापुरी,


नईदिल्ली 110064.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राजपत्र अधिसूचना की एक प्रति इस पत्र के साथ आपको भेजा जा रहा है। अधिसूचना का हिन्दी अनुवाद भी संलग्न है। आपसे अनुरोध है कि इसे भारत के राजपत्र भाग 2 के खंड 3 के उपखंड(ii) के अगले अंक में प्रकाशित किया जाये।

धन्यवाद।

भवदीय,

  
14/04/18

(एम वी एस डी प्रसादा राव)

वैज्ञानिक जी एवं उप महानिदेशक (प्रमाणीकरण)

Email: [scgc@bis.org.in](mailto:scgc@bis.org.in)

अनुलग्नक :2

(भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)  
 उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय  
 (उपभोक्ता मामले विभाग)  
 भारतीय मानक ब्यूरो  
 नई दिल्ली

अधिसूचना

भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम 1988 के विनियम 6 के उपविनियम (3) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतदद्वारा नीचे अनुसूची में दिए गए उत्पाद की मुहरांकन शुल्क अधिसूचित करता है :

अनुसूची

भारतीय मानक संख्या	भाग	अनु.भाग	वर्ष	उत्पाद	इकाई	न्यूनतम मुहरांकन शुल्क (रु)		इकाई दर स्लैब 1 (रु)	स्लैब में इकाईयां	शेष	प्रचालन तिथि
						वृहद स्तर	एम एस एम इ के लिए				
16444	1		2015	ए .सी. स्थैतिक सीधा जुड़ा वाट घंटा स्मार्ट मीटर वर्ग 1 एवं 2	1पीस	560000	448000	1.00	सभी	-	14 अप्रैल 2018
16018			2012	पहिये वाले अग्नि शामक - कार्यकारिता और निर्माण	1पीस	248000	199000	10.35	सभी	-	14 अप्रैल 2018

*प्रसादा राव*  
 14/04/18

(एम वी एस डी प्रसादा राव)

वैज्ञानिक जी एवं उप महानिदेशक (प्रमाणीकरण)

हमारासंदर्भ : सीएमडी-3 /8 :8

दिनांक. : 14 अप्रैल 2018

TO BE PUBLISHED IN THE EXTRAORDINARY GAZETTE OF INDIA, PART-II, SECTION-3, SUB-SECTION (ii)

Ministry of Consumers Affairs Food and Public Distribution

(Department of Consumer Affairs)

BUREAU OF INDIAN STANDARDS


New Delhi

NOTIFICATION

In pursuance of sub-regulation (3) of regulation 6 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulations 1988, the Bureau of Indian Standards, hereby notifies the Marking fee for the product given in the schedule:

THE SCHEDULE

IS No.	Part	Sec	Year	Product	Units	Minimum Marking Fee (Rs.)		Unit Rate Slab-1 Fee (Rs.)	Units in Slab-1	Effective Date
						Large Scale	MSME			
16444	1		2015	a.c. Static Direct Connected Watthour Smart Meter Class 1 and 2	1 Piece	560000	448000	1.00	All	14 April 2018
16018			2012	Wheeled fire extinguishers – Performance and construction	1 Piece	248000	199000	10.35	All	14 April 2018

  
(M V S D Prasada Rao)

Sc-G & Deputy Director General (Certification)

Our Ref: CMD-3/8:8

Dated: 14 April 2018